121

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 10-एक/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-12-206- पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ जिला मुरैना - प्रकरण कमांक 6/2015-16 सी-129

1- पुरूषोत्तम पुत्र बूटराम गौड़
2- सोनेराम पुत्र बालमुकन्द
3- सामन्त पुत्र बालमुकन्द धाकड़
निवासीगण ग्राम खुमान का पुरा
तहसील कैलारस जिला मुरैना ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- सुश्री कटोई पुत्री बूटाराम
2- विसिराम, श्रीराम, बाबूलाल
सभी जाति बाढ़ई सभी निवासी
ग्राम खुमान का पुरा
तहसील कैलारस जिला मुरैना ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 01 -2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 6/2015-16 सी-129 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम कैलारस स्थित भूमि सर्वे कमांक 585 रकबा 0.115 है., 607/2 रकबा 0.115 है. , 612 रकबा 0.585 है. राजस्व अभिलेख में भूदान भूमि है । यह भूमियां खसरा पंचशाला में स0क 585, 607/2, 612 संवत 2051 से संवंत 2064 तक बूटाराम पुत्र मूलाराम बाढई के नाम अंकित हैं ,

जिनकी मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो गई है। इन भूमियों में से सर्वे कमांक 612 मिन 1 रकबा 0.376 परषोत्तम ने अपने नाम एंव इसी सर्वे नंबर का अंश रकबा 0.209 है. सोनेराम धाकड़, सामान्त धाकड़ के नाम गलत दर्ज कराया है इस भूमि का विक्रय नहीं हुआ है और न कोई बसीयत आदि है इसलिये खसरा सुधार कर मृतक बूटाराम पुत्र मूलाराम बाढई के बैध वारिसों के नाम भूमि की जावे। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 6/15-16 सी 129 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 16-12-2016 पारित करके सर्वे कमांक 585, 607/2, 612 पर मृतक बूटाराम की मृत्यु उपरांत हुई प्रविष्टियॉ निरस्त करते हुये बूटाराम के पुत्रों एंव पुत्री का समानभाग पर नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 6/2015-16 सी-129 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 113 के प्रस्तुत दावे में बताया है कि प्रार्थीगण के पिता बूटाराम की लगभग 15 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। विचार योग्य है कि जब अनावेदक स्वयं स्वीकार करते है कि उनके पिता बूटाराम की मृत्यु धारा 113 का आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 8-7-16 के लगभग 15 वर्ष पूर्व हुई है, इन 15 वर्षो में अनावेदकगण ने नामान्तरण कराने की कार्यवाही क्यों नहीं -- आवेदन के तथ्यों पर प्रश्न-चिन्ह लगाता है। पन्द्रह वर्षो तक उनके द्वारा मृत पिता के स्थान पर स्वयं के नामान्तरण की कार्यवाही न करना एंव बूटाराम की मृत्यु उपरांत संबत 2065 से भूमि सर्वे कमांक 607/2 रकबा 0.115 है एंव सर्वे कमांक 612 मिन के रकबा 0.376 है पर परषोत्तम का तथा सर्वे नंबर 612/2 रकबा 0.209 है. पर सोनेराम, सामान्त धाकड़ का नाम दर्ज हुआ है।

1. 1984 राजस्व निर्णय 22 तथा 1972 राजस्व निर्णय 2974 एंव 2000 राजस्व निर्णय 153 में बताया गया है कि समय सीमा से एक पक्ष के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार आवेदक के पक्ष में जो अधिकार उत्पन्न हुये है उन्हें अब समाप्त नहीं किया जा सकता।

संबत 2065 से निरन्तर दिनांक 8-7-16 तक अनावेदकगण द्वारा स्वयं के नामांत्रण का प्रयास न करके चुप बैठ रहने के वाद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 113 के अंतर्गत गलत प्रविष्टि मानकर शुद्धीकरण के आदेश देना उचित नहीं माना जा सकता।

5/ अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 6/2015-16 सी-129 में पृष्ठ 22, 23 पर मृतक भूमिस्वामी बूटा पुत्र मुल्ला द्वारा पुरुषोत्तम के हित में की गई पॅजीकृत बसीयत की छायाप्रति संलग्न है जिसके अनुसार भूमि सर्वे कमांक 585, 607/2, 612 की बसीयत की गई है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने इस बसीयत के संबंध में, बसीयत संदिग्ध/असंदग्धि है, स्पष्ट नहीं किया है अपितु उन्होंने खसरे में अशुद्ध प्रविष्टियां करना निरूपित करके आदेश पारित किया है। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में यह भी बताया है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है जिसमें अनावेदकगण का जन्मजात स्वत्व है जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने मृतक बूटाराम के सभी पुत्र/पुत्रियों का समान भाग पर नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये हैं। विचाराधीन मामला स्वत्व के निराकरण का नहीं है अपितु अशुद्ध प्रविष्टियों के शुद्धीकरण पर आधारित है। यदि भूदान यज्ञ बोर्ड से पटटे पर मृतक बूटाराम को प्राप्त भूमि को पैत्रिक होना बताकर स्वत्व की मांग हैं स्वत्व के मामले के विनिश्चय के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है जिसके कारण अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 6/2015-16 सी-129 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2016 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के पद 15 में बताया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 लेखन संबंधी गलतियों का शुद्धिकरण (उप खंड अधिकारी) किसी भी समय लेखन संबंधी किन्हीं भी गलतियों को तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को जिनके कि संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हों कि वे अधिकार अभिलेख में हुई है, शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा।

1. यजनलाल विरूद्ध नत्थू 2010 राजस्व निर्णय 334 में बताया गया कि उपखंड अधिकारी धारा 113 के अंतर्गत अशुद्ध गल्तियों को तभी ठीक कर सकेंगे, जबकि हितबद्ध समस्त पक्षकार यह स्वीकार करें कि अधिकार अभिलेख में कोई गलती वास्तव में हुई है और उसे शुद्ध किया जाना चाहिये

विचाराधीन प्रकरण में आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करके अभिलेख में गल्तियॉ न होना तथा पूर्व से चली आ रही प्रविष्टि में हस्तक्षेप न करने की आपत्ति कर रहे है एंव गल्तियां शुद्व कराने हेतु दर्ज कराये गये प्रकरण पर असहमत है तब इस धारा के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ऐसी प्रविष्टियों को शुद्व नहीं कर सकते। इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने गौर न करने में भूल की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 6/2015-16 सी-129 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर